

कार्यालय-अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/ /2020, लखनऊ, दिनांक :अगस्त 10, 2020
-: आदेश :-

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली-2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन माह सितम्बर-2020 का गठन कार्यक्रम निम्नवत निर्गत किया जाता है :-

क्र0सं0 01	बैठने का स्थान 02	कार्य आवंटन 03	कार्य- अवधि 04	युगल पीठ में सम्मिलित होने सदस्य 05
1	पीठ-1, आगरा	पीठ-1 व 2 आगरा	दिनांक 14.09.2020 से 16.09.2020 तक	पीठ-1, आगरा पीठ-2, आगरा न्यायिक विभागीय
2	पीठ-1, कानपुर	पीठ-1, 2,3 व 4 कानपुर	दिनांक 21.09.2020 से 23.09.2020 तक	पीठ-1, कानपुर पीठ-4, कानपुर न्यायिक विभागीय
3	पीठ-1 नोएडा	पीठ-1, व 2 नोएडा	दिनांक 26.09.2020 से 28.09.2020 तक	पीठ-1, नोएडा पीठ-2, नोएडा न्यायिक विभागीय
4	पीठ-बरेली	पीठ-बरेली	दिनांक 01.09.2020 से 02.09.2020 तक	पीठ-बरेली पीठ-मुरादाबाद न्यायिक विभागीय

नोट-उक्त खण्डपीठ गठन में नामित न्यायिक अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य न्यायिक अधिकारियों के पद रिक्त होने के कारण एवं कोविड-19 की महामारी के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए शेष पीठों की खण्डपीठ गठन की जा रही है।

ह0-
(नील कंट सहाय)

एच0जे0एस0,
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन: वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/ 1108 /2020, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-सम्बन्धित सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण।
- 2-कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 3-मु-सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
- 4-सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।



निबन्धक,
वाणिज्य कर अधिकरण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ